नवीन पु./3539/16 निग 3539-I-16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–विदिशा

ममताबाई पत्नी जगतसिंह,
निवासी नवांकुर गली, गंजबासौदा,
जिला विदिशा (म.प्र.)

— आवेदक

विरूद्ध

रामश्री बाई पत्नी जगतसिंह रघुवंशी,
निवासी बरेठ रोड, गंजबासौदा, जिला
विदिशा (म.प्र.)

— अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार, बासौदा, जिला विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 8/अ–3/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 06.09.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बासौदा, का आदेश दिनांक 06.09.2016 अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, विचारण न्यायालय तहसीलदार बासौदा के समक्ष आवेदिका द्वारा एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि उपरोक्त भूमि के संबंध में एक प्रकरण कमिश्नर न्यायालय, भोपाल के न्यायालय में प्रचलित है, ऐसी स्थिति में इस प्रकरण को स्थगित किया जाये और आवेदिका के उक्त आवेदन पत्र पर विधिवत सुनवाई की जाकर आदेश दिनांक 13.07.2016 को प्रकरण के प्रचलन की अवधि तक स्थगित किये जाने का आदेश पारित किया, क्योंकि इसी भूमि के संबंध में वरिष्ठ न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन था, ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय की कार्यवाही को स्थगित किया जाना न्यायहित में आवश्यक था।

3– यहकि, न्यायालय तहसीलदार बासौदा के समक्ष एक आवेदन पत्र अनावेदिका द्वारा संहिता की धारा 32 अन्तर्गत प्रस्तुत कर बताया कि प्रकरण में स्थगन

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3539-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक अधिवक्ता, श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26.2.19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	